

War-Injury / Disability / Family Pension Claim

दस्तावेज प्रकार : पत्र / नोटिस · तैयार किया गया 29 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

सेवारत/भूतपूर्व सैनिक या परिवार के लिए युद्ध-क्षति, विकलांगता, या विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन दावा सेवा से आरोप्यता/वृद्धि (attributability/aggravation), विकलांगता प्रतिशत या पारिवारिक-पेंशन श्रेणी और हक स्थापित करता है। यह टूल चिकित्सा व सेवा साक्ष्य सहित दावा, और अस्वीकृति पर अपील तैयार करता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

युद्ध-क्षति, विकलांगता या पारिवारिक पेंशन दावा — हक-आधार व चिकित्सा-साक्ष्य सहित — तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

स्थापित आरोप्यता/वृद्धि, विकलांगता प्रतिशत या पारिवारिक-पेंशन श्रेणी और हक का उपयोग अभिलेख कार्यालय/PCDA को दावा दाखिल करने, चिकित्सा व सेवा साक्ष्य संलग्न करने, और अस्वीकृत/कम-निर्धारित होने पर अपील (प्रथम अपील/AFT) दाखिल करने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

अभिलेख कार्यालय व PCDA (पेंशन); अस्वीकृति पर प्रथम अपीलीय समिति और फिर सशस्त्र सेना अधिकरण (AFT)।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

अभिलेख कार्यालय/PCDA से चिकित्सा-बोर्ड कार्यवाही, सेवा दस्तावेज व हक-आधार सहित दावा दाखिल करें; समय-सीमा में प्रथम अपील दाखिल करें, और फिर भी अस्वीकृत होने पर AFT जाएँ।

इसकी जाँच किससे कराएँ

भूतपूर्व-सैनिक पेंशन अधिवक्ता या AFT वकील — आरोप्यता/वृद्धि स्थापित करने, विकलांगता-निर्धारण व अपील-आधार के लिए।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

सेवा से आरोप्यता/वृद्धि व विकलांगता प्रतिशत मूल मुद्दा और अक्सर विवादित; अपील की समय-सीमा है और चिकित्सा-बोर्ड रिकॉर्ड निर्णायक। अस्वीकृत/कम-निर्धारित दावा अपील से पहले AFT वकील से समीक्षित कराएँ।

साथ के दस्तावेज

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।